"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 9 मार्च 2017— फाल्गुन 18, शक 1938

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 98/पेड/2014/सू.प्रौ. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया–नियम–2014 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में–

1. जहां कहीं भी विकलांग शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे दिव्यांग शब्द से प्रतिस्थापित किया जाय।

2. नियम 2 के उप–नियम 15 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़ा जाय–

   "समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधनों के माध्यम से विलोपित किए गए निःशक्तता के प्रकार अथवा जोडे गए निःशक्तता के प्रकार स्वयमेव विलोपित अथवा जोड़े माने जाएंगे।"

3. नियम 2 के उप–नियम 16 में शब्द "1. अनुसूचित जाति विकलांग (SC_PH) 2. अनुसूचित जन–जाति विकलांग (ST_PH) 3. अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग (OBC_PH)" को विलोपित किया जाय तथा शेष शब्दों को निम्नानुसार पुनः क्रमांकित किया जाय–

   1. अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक (SC_EXS) 2. अनुसूचित जन–जाति भूतपूर्व सैनिक (ST_EXS) 3. अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक (OBC_EXS)।

4. नियम 2 के उप–नियम 18 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान स्थापित किया जाय–

   "2.18 "चिन्हांकन" से अभिप्रेत है प्रावीण्य सूची/समेकित प्रावीण्य सूची से वर्ग व उपवर्गवार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को चयन के आगे की प्रक्रिया में शामिल करने/अंतिम चयन हेतु पृथक करना। अंतिम चयन प्रक्रिया को छोडकर शेष प्रक्रियाओं में वांछित संख्या में लिए गए अभ्यर्थियों मे से अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक के समान प्राप्तांक वाले समस्त अभ्यर्थी भी चिन्हांकित किए जाएंगे।"

5. नियम 6 के वर्तमान प्रावधान को उपनियम "6.1" के रुप में पुर्नक्रमांकित किया जाय तथा उसके नीचे उपनियम "6.2" के रुप में निम्नानुसार नवीन प्रावधान स्थापित किया जाय–

"6.2. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित एवं अनुवीक्षण परीक्षाओं के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक दिए जाएंगे एवं एक गलत उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक का 1/3 गुना अंक काटे जाएंगे। जिन प्रश्नों को अभ्यर्थियों द्वारा बिना उत्तर दिए छोड दिया जाएगा, उन प्रश्नों हेतु ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा– $MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$ जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्ताकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी। दशमलव के आगे के स्थानों के अंकों को छोड दिया जाएगा यदि पांचवा छोडा जाने वाला अंक पांच या पांच से अधिक हो, तो दशमलव के चौथे स्थान के अंक को एक बढ़ा दिया जाएगा अन्यथा चौथे स्थान का अंक अपरिवर्तित रहेगा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी प्रकार (वस्तुनिष्ठ, विवरणात्मक, कौशल इत्यादी) परीक्षा में पनुर्गणना अथवा पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।"

6. नियम 10 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नानुसार नवीन प्रावधान स्थापित किया जाए–

"महिला आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाओं को ही प्राप्त होगा। "

7. नियम 12 में प्रथम कोष्टक के भीतर के शब्दों में से शब्द "SC_PH, ST_PH, तथा OBC_PH" को विलोपित किया जाय तथा द्वितीय कोष्टक के भीतर में से शब्द "UR_PH" को विलोपित किया जाय।

8. नियम 15 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़ा जाय–

"आयु में छूट का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होगा।"

9. नियम 16 के उपनियम 16.2.2 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय–

16.2.2 "यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दूरस्थ माध्यम से किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से उस सत्र में शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है जिसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय को DEC अथवा DEC, UGC तथा AICTE की संयुक्त समिति से कार्योत्तर मान्यता प्राप्त है तो उनके लेटरल एन्ट्री, कोर्स की अवधि, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, उनके अध्ययन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों जिनके माध्यम से शैक्षणिक अर्हता अर्जित की गई हो, की मान्यता के संबंध में शासन से विधिवत जारी व प्रसारित अधिसूचना के अभाव में इसे शासन से कार्योत्तर मान्यता का प्रकरण माना जाएगा तथा अर्जित अर्हता को वैध माना जाएगा। विधिवत नियम अधिसूचित किए जाने के दिनांक से भविष्यलक्षी प्रभाव से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।"

10. नियम 17 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय–

17. **चिन्हांकन का क्रम** – समस्त वर्गो, उपवर्गो एवं आरक्षित वर्गो के लिए चिन्हांकन का क्रम निम्नानुसार होगा–

17.1. अंतिम चयन हेतु समेकित प्रावीण्य सूची से तथा चयन प्रक्रिया के शेष चरणों में प्रावीण्य सूची से चिन्हांकन किए जाएं।

17.2. प्रावीण्य/समेकित प्रावीण्य सूची से अनारक्षित महिला, पुरुष, विकलांग व भू.पू. सैनिक अभ्यर्थियों का चिन्हांकन करते समय उनके मूल वर्ग तथा उपवर्ग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, प्राप्ताकों के प्रावीण्य क्रम के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा।

17.3. आरक्षित अथवा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थी अपने उपवर्ग में चिन्हांकित न होकर संबंधित अनारक्षित अथवा आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्रावीण्य क्रम के आधार पर चिन्हांकित हो सकेंगे.

17.4. प्रावीण्य/समेकित प्रावीण्य सूची से अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित

अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में प्रावीण्य के आधार पर चिन्हांकित होते हैं, तो उक्त आधार पर आरक्षित रिक्तियों में समायोजन नहीं किया जाएगा।

17.5. आरक्षित वर्ग के अंतर्गत महिला, पुरुष, विकलांग व भू.पू. सैनिक अभ्यर्थियों का चिन्हांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह जिस आरक्षित वर्ग में चिन्हांकित हो वह उसका मूल वर्ग भी होना चाहिए। उदा.– अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकित होने वाले महिला, पुरुष, विकलांग व भू.पू. सैनिक अभ्यर्थियों का मूल वर्ग अनिवार्य रुप से अनुसूचित जाति ही होना चाहिए।

17.6. आयोग द्वारा जारी जिन विज्ञापनों में निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पद उनकी निःशक्तता के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं है तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पदों को वर्गवार विज्ञापित कुल पदों में शामिल किया गया है, के लिए निःशक्तजन अभ्यर्थियों के चिन्हांकन हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए–

17.6.1. साक्षात्कार में उपस्थित समस्त अर्ह निःशक्तजन अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर सर्वप्रथम निःशक्तजन अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम, विज्ञापित पदक्रम एवं अग्रमान्यता जो भी लागू हो के आधार पर चिन्हांकन किया जाए।

17.6.2. चिन्हांकित निःशक्तजन अभ्यर्थियों के मूल वर्ग के आधार पर वर्गवार वांछित पदों में से पद विकलित किए जाएं। (यदि निःशक्तजन अभ्यर्थी के प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्तांक अथवा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक के बराबर अथवा अधिक हो तो ऐसे निःशक्तजन अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकित किया जाएगा।)

17.6.3. यदि किसी पद हेतु चिन्हांकित निःशक्तजन अभ्यर्थी के मूल वर्ग के अंतर्गत कोई पद विज्ञापित न हो अथवा उस वर्ग में वांछित संख्या उस वर्ग में चिन्हांकित निःशक्तजन अभ्यर्थियों से कम हो, तो अनारक्षित वर्ग में वांछित संख्या में विकलन द्वारा समयोजन किया जाए। यदि अनारक्षित वर्ग में भी पद विज्ञापित न हो तो बिना किसी समायोजन/विकलन के निःशक्तजन अभ्यर्थी चिन्हांकित किए जाएं।

17.6.4. निःशक्तजन अभ्यर्थी वांछित संख्या में न मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण के प्रतिशत के आधार पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएं अथवा अंतिम चयन की स्थिति में पद अग्रणित किए जाएं। उदाहरण के लिए–

रिक्त रखे/अग्रणित किए जाने वाले पद की संख्या P हो तो अनुसूचित जाति वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की नवीन संख्या SCN की गणना निम्न प्रकार होगी–

SCN= अनुसूचित जाति वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत/100

रिक्त रखे/अग्रणित किए जाने वाले पद की संख्या P हो तो अनुसूचित जन–जाति वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की नवीन संख्या STN की गणना निम्न प्रकार होगी–

STN= अनुसूचित जन–जाति वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अनुसूचित जन–जाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत/100

रिक्त रखे/अग्रणित किए जाने वाले पद की संख्या P हो तो अन्य पिछडा वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की नवीन संख्या OBCN की गणना निम्न प्रकार होगी–

OBCN= अन्य पिछडा वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अन्य पिछडा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत/100

अनारक्षित वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की नवीन संख्या URN की गणना निम्न प्रकार होगी–

URN= अनारक्षित वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की संख्या – (SCN+STN+OBCN)

उक्त गणनाओं में यदि संख्या दशमलव में प्राप्त हो तो उसे अगली पूर्णांक संख्या से तब विस्थापित करेंगे, जब दशमलव अंक का मान 0.5 या उससे

अधिक हो अन्यथा पूर्णांक को अपरिवर्तित रखते हुए दशमलव अंक विलोपित कर दिया जाएगा।

17.6.5. चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऐसे निःशक्तजन अभ्यर्थी जिनके मेरिट क्रम उन्हीं के मूल वर्ग अथवा अनारक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों से अधिक हैं, को निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदो के विरुद्ध समायोजित न करते हुए सामान्य अभ्यर्थी के रुप में चिन्हांकन किया जाए, इस प्रकार चिन्हांकित निःशक्तजन अभ्यर्थियों की संख्या में जो कमी आए, उसे अन्य उपलब्ध अर्ह निःशक्तजन अभ्यर्थियों के चिन्हांकन द्वारा पूरा कर लिया जाए तथा अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त बिन्दु 17.6.4 के अनुरुप शून्य चिन्हांकन/पद अग्रणित किए जाएं।

17.6.6. आवश्यकता पड़ने पर निःशक्तजन अभ्यर्थियों के सामान्य अभ्यर्थियों के रुप में चिन्हांकन की स्थिति पुनः बनने पर बिन्दु 17.6.4 पर दर्शित प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जा सकती है।

17.6.7. प्रत्येक वर्ग में सर्वप्रथम वर्गवार वांछित संख्या में से चिन्हांकित विकलांग अभ्यर्थियों तथा भू.पू. सैनिक अभ्यर्थियों हेतु वांछित संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को प्रावीण्य क्रम में लिया जाएगा। यदि पूर्वोक्त अभ्यर्थियों के समूह में महिलाओं हेतु वांछित संख्या के बराबर महिला अभ्यर्थी शामिल हो रही हों तो उक्त सारे अभ्यर्थी चिन्हांकित किए जाएंगे। यदि महिला अभ्यर्थियों की वांछित संख्या प्राप्त न हो तो पहले प्रावीण्य क्रम में नीचे जाकर महिला अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाएगा। फिर भी वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी न मिले तो महिला अभ्यर्थियों के स्थान पर संबधित वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी चिन्हांकित किए जाएगें. इस प्रकार वर्गवार वांछित संख्या में से चिन्हांकित विकलांग व वांछित भू.पू. सैनिक अभ्यर्थियों की संख्या को घटाकर प्राप्त संख्या में से चिन्हांकित महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम करने पर प्राप्त संख्या के बराबर पुरुष अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाएगा। उक्तानुसार चिन्हांकन की प्रक्रिया में प्रावीण्य के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा अर्थात चिन्हांकन की प्रक्रिया में विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी भी अपने उपवर्ग के बिना प्राप्ताकों व लिंग के आधार पर चिन्हांकित हो सकेंगे।

17.7. प्रत्येक वर्ग (UR/SC/ST/OBC) में विकलांग, महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के चिन्हांकन के पश्चात वर्गवार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का वांछित संख्या के अनुसार चिन्हांकन किया जाएगा।

17.8. वांछित संख्या में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलनें पर उनके स्थान पर उसी अथवा अन्य वर्ग के किसी भी अन्य अभ्यर्थी का चिन्हांकन नहीं किया जाएगा अर्थात किसी वर्ग में वांछित संख्या में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे।

17.9. चिन्हांकन हेतु विचाराधीन विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी महिला अथवा पुरूष हो सकते हैं।

11. नियम 18 में जहां कहीं भी शब्द "50 प्रतिशत" हो, को शब्द "25 प्रतिशत" से विस्थापित किया जाय।

12. नियम 19 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय–

"19. चयन सूचियों तथा अनुपूरक सूचियों का तैयार किया जाना तथा सूचियों की वैधता –

19.1. आयोग अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार कर उनको चयन के संबंध में आयोग की वेबसाईट के माध्यम से सूचित करेगा साथ ही संबंधित विभाग को अभ्यर्थियों की अनुशंसा संबंधी पत्र जारी करेगा।

19.2. आयोग द्वारा प्रकाशित/जारी चयन व अनुपूरक सूची जारी किये जाने की दिनांक से एक वर्ष अथवा समान पद हेतु नवीन चयन सूची जारी होने की दिनांक दोनो में से जो पहले हो तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगी। एक वर्ष की अवधि के पश्चात किसी भी स्थिति में चयन एवं अनुपूरक सूची की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

19.3. यदि न्यायालयीन वाद लंबित होने अथवा अन्य कारण से आयोग द्वारा कुछ पद रिक्त रखते हुए चयन सूची जारी करने की आवश्यकता हो तो चयन सूची के साथ अथवा भविष्य में संशोधित चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी।

19.4. रिक्त रखे गए पदों पर चयन करते हुए संशोधित सूची जारी करने की स्थिति में जारी की गई संशोधित सूची की प्रभावशीलता तीन माह अथवा समान पद हेतु नवीन चयन सूची जारी होने की दिनांक दोनो में से जो पहले हो तक की होगी। तीन माह की अवधि के पश्चात किसी भी स्थिति में संशोधित चयन सूची की प्रभावशीलता बढ़ाई नहीं जाएगी।

19.5. आयोग के पास स्वप्रेरणा से अथवा संबंधित किन्हीं पक्षों के आवेदन पर किसी भी समय क्रम सूचियों, परामर्श सूचियों, संक्षिप्त सूचियों, चयन सूचियों अथवा अनुपूरक सूचियों आदि में किसी कारणवश हुई भूलों, चूकों, किसी भी लिपिकीय, टंकणगत, अंकगणितीय अथवा अन्य त्रुटियों को शुद्ध करने की शक्ति होगी।''

13. नियम 36 में शब्द ''15 दिन'' के स्थान पर ''07 दिन'' से प्रतिस्थापित किया जाय।

14. नियम 56 के उप नियम 4 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़ा जाय–

''वरीयतः राज्य के दिव्यांग, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को मांगे गए परीक्षा शहर में ही परीक्षा केन्द्र आबंटित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा।''

15. नियम 56 के उप नियम 13 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय–

''56.13 यदि ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात किसी प्रश्नपत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होती है, तो आयोग परीक्षा निरस्त कर, परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में निर्णय ले सकेगा। ऑनलाइन आपत्ति के निराकरण के पश्चात संशोधित आदर्श उत्तर जारी किए जाएंगे, जिसके आधार पर लिखित/ऑनलाइन परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे। ''

हस्ता./–

(पुष्पा साहू)
उपसचिव.

Raipur, The 8th March 2017

NOTIFICATION

No. 98/पेड/2014/सू.प्रो. — Chhattisgarh Public Service Commission hereby makes the following Amendments in the Chhattisgarh Public Service Commission Rules of Procedure-2014, Namley:-

AMENDMENT

In the Said Rules,

1. wherever the word "Physiclly Handicapped" is used, It is replaced by the word "Divyang".

2. in subrule 15 of rule 2 follwing provision shall be inserted -

   "Type of disabilities will automatically add or remove from clause 2.15 by Cerculars issued time to time by Social Welfare Department, Govt. of Chhattisgarh."

3. in subrule 16 of Rule 2, words "1. Shceduled Caste Physically Handicapped (SC_PH), 2. Shceduled Tribe Physically Handicapped (ST_PH), 3. Other Backward Caste Physically Handicapped (OBC_PH)" shall be deleted and remaining words shall be re-numbered as follow-

   1. Shceduled Caste Ex-Serviceman (SC_EXS), 2. Shceduled Tribe Ex-Serviceman (ST_EXS), 3. Other Backward Caste Ex-Serviceman (OBC_EXS).

4. subrule 18 of Rule 2 shall be deleted and following subrule shall be substituted in place of it -

   2.18" Identification" means the process to seprate applicants for next process of selection/final selection. Except final selection in all remaining process all the candidates having marks equal to, marks obtained by the last candidate of desired number of candidates.

5. Existing provision in Rule 6 shall be re-numbered as subrule "6.1" and following new provision as subrule "6.2" shall be inserted after it-

   "6.2 There will be provision of Negative Marking for Objective type written and screening Exams conducted by Chhattisgarh Public Service Commission. For One correct answer predetermined marks or in case of deletion of any question redetermind marks for each question will awarded and for each wrong answer one third of predetermined marks or in case of deletion of any question one third of redetermind marks will be deducted. There will be no negative marking for questions left unanswerd by not attempting by candidates. For Negative marking following formule will be used - $MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$, Where MO= Marks Obtained by candidate, M= predetermined marks or in case of deletion of any question redetermind marks for each question, R=Number of correct answers given by candidate and W= Number of wrong answers given by candidate. Using above formula marks obtained will be calculated up to 4th place of decimal. Digits placed further will be left, if the 5th number to be left is 5 or more than 5 then digit on 4th place of decimal will be increase by 1, otherwise it will remain unchanged.

   There shall not any provision of recounting or revaluation in any type (Objective, Subjective, Skill etc.) of Exams conducted by Chhattisgarh Public Service Commission. "

6. After existing provision in Rule 10 following provision shall be inserted-

   "Benefit of female reservation will be given to Chhattisgarh domicile female candidates only. "

7. in rule 12 words "SC_PH, ST_PH and OBC_PH" shall be deleted from first bracket and word "UR_PH" shall be deleted from second bracket.

8. in rule 15 following new provision shall be inserted after existing provision -

   "Benefit of age relaxation will be given to Chhattisgarh domicile candidates only ".

9. in rule 16 sub rule 16.2.2 shall be deleted and inplace of it following new provision shall be substituted -

"If the candidate has earned educational qualification through distance mode from University/Deemed University/Open University in academic session for which the University/Deemed University/Open University got post-facto recognition from DEC or from the joint committee of DEC, UGC & AICTE then in lack of any notification, properly notified and circulated by government, regarding lateral entry, duration of course, territorial jurisdiction, exam centers and study centers (through which educational qualification has been earned), it shall be treated as a case of post-facto recognition from government and the earned qualification shall be consider valid. From the date of proper notification and circulation of rules, actions may be taken as per rule with prospective effects."

10. existing provisions in rule 17 shall be deleted and in place of those, following new provisions shall be substituted -

17. **Order of identification** - the order of short listing for all categories and subcategories shall be as follows -

17.1. For final selection identification will be done using consolidated merit list and in remaining steps of selection identification will be done using merit list.

17.2. While identifying female, male, handicapped and Ex-serviceman candidates, under unreserved category from the merit/consolidated merit list, their original categories and subcategories will not be considered, identification will be based on the merit order of scores.

17.3. Candidates of reserved or unreserved subcategory may be identified on the basis of merit order within unreserved or relevant reserved category instead of being identified in their subcategory.

17.4. While identifying within unreserved category from merit/consolidated merit list, according to Chhattisgarh Public Service (reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -1994, if candidates of reserved category are identified on the basis of merit with unreserved category candidates in open competition, then no adjustment shall be made in reserved vacancies on the basis of the above.

17.5. While identifying female, male, handicapped and ex-serviceman candidates within the reserved category, it should be kept in mind that the reserved category in which they are identified should be their original category. E.g. - the original category of female, male, handicapped and ex-serviceman candidates identified within Schedule Caste category must also be Scheduled Caste only.

17.6. Advertisements issued by Chhattisgarh Public Service Commission in which post advertised for physically disabled candidates are not classified on the basis of type of their disability and posts advertised for physically disabled candidates are included in total number of posts advertised, following procedure for identification of physically disabled candidate should be follow by Chhattisgarh Public Service Commission-

17.6.1. After preparing merit list of all eligible physically disabled candidates present in Interview, first of all on the basis of merit order of physically disabled candidates order of advertised posts and preference which ever is applicable, identification should be done.

17.6.2. On the basis of original category number of posts should be deducted from category wise required posts. (If marks obtained by physically disabled candidate in each paper or in case of selection only by Interview, marks obtained in Interview are greater than or equal to minimum qualifying marks for unreserved category then such candidate will consider under unreserved category.)

17.6.3. If for any vacancy there is no post advertised under original category of physically disabled candidate or number of posts required in that category

is less than number of physically disabled candidates identified in same category then adjustment should be done by deducting from post required in unreserved category. If there is no post advertised in unreserved category then identification of physically disabled candidates should be done without any adjustment /deduction.

17.6.4. On unavailability of required number of physically disabled candidates null identifications should be done on the basis of percentage of reservation in state or in case of final selection posts should be carry forward. For example -

If number of post to be remain vacant/to be carry forward is P then new required number of candidates from Scheduled Caste category SCN should be calculated as follow :
SCN= Actual Number of required candidates from Scheduled Caste Category - P X Percentage of reservation for Scheduled Caste candidates / 100.

If number of post to be remain vacant/to be carry forward is P then new required number of candidates from Scheduled Tribe category STN should be calculated as follow :
STN= Actual Number of required candidates from Scheduled Tribe Category - P X Percentage of reservation for Scheduled Tribe candidates / 100.

If number of post to be remain vacant/to be carry forward is P then new required number of candidates from Other backward category OBCN should be calculated as follow :
OBCN= Actual Number of required candidates from Other backward category - P X Percentage of reservation for Other backward category/ 100.

New required number from Unreserved category URN should be calculated as follow:
URN= Required number of candidates-(SCN+STN+OBCN)
In above calculation if number found are in decimal then that number should be replaced by next integer when the decimal value is 0.5 or more otherwise decimal part should be remove without changing integer.

17.6.5. On completion of process of identification such physically disabled candidates whose merit order are higher than merit order of remaining candidates from there original category or unreserved category, should not be adjusted against posts reserved for Physically disabled candidates and should identified against as Open category candidate. Lack in number of candidates selected in physically disabled candidate should be complete by identification of other available eligible Physically disabled candidates and in case of unavailability posts should be carry forward/Zero identification should be done as per above point 17.6.4.

17.6.6. On selection of Physically disabled candidates as Open category candidate, as per requirement process explained in point 17.6.5 should be repeated.

17.6.7. In every category first of all number of candidates equal to the number obtained by subtracting the number of posts reserved for ex-serviceman and number of Physically disabled candidates selected in that category will be taken in order of merit. If female candidates equal to advertised number of posts for female are included in the aforesaid group of candidates then all such candidates shall be identified. If the desired number of female candidates can not be obtained then firstly female candidates, lower down the merit shall be identified. If the desired number of women candidates is still not obtained then male candidates from the relevant category shall be identified in place of female candidates. It means male candidates equal to the number obtained by subtracting number of posts advertised for physically handicapped, ex-serviceman and identified

female candidates, shall be identified. Accordingly identification shall be done on the basis of merit in the process of deification which means handicapped and ex-serviceman candidates can also be identified on the basis of their scores and gender without considering their subcategory.

17.7. After identification of female and male candidates in every category (UR/SC/ST/OBC) ex-serviceman candidates shall be identified category wise, according to advertised number of posts.

17.8. If desired number of ex-serviceman candidates are not found then other candidates of the same or other category shall not be identified in their place which means if desired number of ex-serviceman candidates are not found in any category then null identification shall be done, it means vacant posts for physically handicapped and ex-serviceman candidate will be carry forward.

17.9. Physically handicapped and ex-serviceman candidates under consideration for identification can be female or male.

11. in rule 18 wherever the word "50 Percent" exists, shall be substituted by the word "25 Percent".

12. existing provisions in rule 19 shall be deleted and in place of those, following new provisions shall be substituted --

"19. Preparation of selection lists and supplementary lists and validity of the lists -

19.1. The commission shall prepare a selection list of candidates and inform them through the website of the Commission along with issuing recommendation letter for the candidate to the relevant department.

19.2. Selection & Waiting lists published/issued by the Commission shall remain effective for the duration of a year since the date of issue or up to date of issue of new selection list for the same post whichever is earlier. After period of one year, period of effectiveness of selection and waiting list will not increase any more.

19.3. If due to pendency of court case or due to any other reason there is need to issue/publish selection list by keeping some posts vacant then with selection list or with the amended selection list to be issue in future, waiting list will never issue.

19.4. In the case of issue of amended selection list by making selection on posts kept vacant, effectiveness of the amended selection list will be of three months or up to date of issue of new selection list for the same post whichever is earlier. After period of three months, period of effectiveness of amended selection list will not increase any more.

19.5. The Commission, by itself or by application of any of the related parties, shall have the power to correct at any time any clerical error, typo, arithmetic or other errors or mistakes committed unintentionally in the ranking lists, consultation lists, short lists, selection lists or supplementary lists."

13. in rule 36 the word "15 Days" shall be substituted by the word "07 Days ".

14. in sub rule 4 of rule 56 following new provision shall be inserted after existing provision -

"Preferably to physically disabled, female and male candidates of Chhattisgarh, effort will be make to allot exam centers in city opted by them but this will not mandatory."

15. sub-rule 13 of rule 56 shall be deleted and following sub rule shall be substituted in place of it -

"56-13 If in any question paper there is need to delete more than 20 percent questions, after online objection, then Commission may cancel the exam and make decision regarding re - examination. After the resolution of the online objection modified model answers will be released, on the basis of which written/online examination results will be prepared."

Sd./-

(Pushpa Sahu)
Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.